



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2294]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2018/ आषाढ़ 1, 1940

No. 2294]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2018/ ASHADHA 1, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

का.आ. 3032(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. **709बी** (लोनी (दिल्ली) के निकट रारा-9 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत, बरौत, शामली को जोड़ने वाला और सहारनपुर के निकट रारा-344 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), **709एडी** (हरियाणा राज्य में पानीपत के निकट रारा-709 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश राज्य में शामली, मुजफ्फरनगर, भोपा, बिजनौर को जोड़ने वाला और नगिना के निकट रारा-734 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), **709ए** (उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़मुक्तेश्वर के निकट रारा-9 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मेरठ, बुधाना, शामली, हरियाणा राज्य में करनाल, जींद, मुंडल को जोड़ने वाला और भिवानी के निकट रारा-709 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), **731** (उत्तर प्रदेश राज्य में सैयदपुर के निकट रारा-31 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खुथान, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, हरदोई, शाहजांहपुर को जोड़ने वाला और पलिया में समाप्त होने वाला राजमार्ग), **734** (उत्तर प्रदेश राज्य में नजिबाबाद के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नगिना, उत्तराखंड राज्य में काशीपुर को जोड़ने वाला और उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद के निकट रारा-9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), **319डी** (उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के निकट रारा-19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और मुंगरा बादशाहपुर के निकट रारा-31 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), **128बी** (उत्तर प्रदेश राज्य में आजमगढ़ के निकट रारा-28 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मऊ, तीखा को जोड़ते हुए और फेफना के निकट रारा-31 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), **128सी** (उत्तर प्रदेश राज्य में आजमगढ़ के निकट रारा-28 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और दोहरीघाट के निकट रारा-24 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), **530बी** (उत्तर प्रदेश राज्य में बरेली के निकट रारा-30 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बुदौन, हथरस को जोड़ते हुए और मथुरा के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर

समाप्त होने वाला राजमार्ग), **334डी** (उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और खैर, जेवर को जोड़ते हुए और हरियाणा राज्य में पलवल के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) और **128ए** (उत्तर प्रदेश राज्य में मोहम्मदपुर के निकट रारा-28 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बादशाहपुर को जोड़ते हुए और रारा-31 जौनपुर के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

[फा.सं. एनएच-14013/6/2018-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2018

S. O. 3032(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrust **National Highway No. 709B**, (The highway starting from its junction with NH-9 near Loni (Delhi) connecting Baghpat, Baraut, Shamli and terminating at its junction with NH-344 near Saharanpur in the State of Uttar Pradesh), **709AD** (The highway starting from its junction with NH-709 near Panipat in the state of Haryana connecting to Shamli, Muzaffarnagar, Bhopa, Bijnor and terminating at its junction with NH-734 near Nagina in the state of Uttar Pradesh), **709A** (The highway starting from its junction with NH-9 near Garhmukteswar connecting Meerut, Budhana, Shamli in the state of Uttar Pradesh, Karnal, Jind, Mundal and terminating at its junction with NH-709 near Bhiwani in the state of Haryana), **731** (The highway starting from its junction with NH-31 near Saidpur connecting Khuthan, Jaunpur, Sultanpur, Lucknow, Hardoi, Shajahanpur and terminating at Paliya in the State of Uttar Pradesh), **734** (The highway starting from its junction with NH-34 near Najibabad connecting Nagina in the State of Uttar Pradesh, Kashipur in the State of Uttarakhand and terminating at its junction with NH-9 near Moradabad in the state of Uttar Pradesh.) **319D** (The highway starting from its junction with NH-19 near Allahabad and terminating at its junction with NH-31 near Mungra Badshahpur in the state of Uttar Pradesh), **128B** (The highway starting from its junction with NH-28 near Azamgarh connecting Mau, Teekha and terminating at its junction with NH-31 near Phephna), **128C** (The highway starting from its junction with NH-28 near Azamgarh and terminating at its junction with NH-24 near Dohrighat in the state of Uttar Pradesh), **530B** (The highway starting from its junction with NH-30 near Bareilly connecting to Budaun, Hathras, and terminating at its junction with NH-44 near Mathura in the state of Uttar Pradesh), **334D** (The highway starting from its junction with NH-34 near Aligarh and connecting Khair, Jewar in the state of Uttar Pradesh and terminating at its junction with NH-44 near Palwal in the state of Haryana) and **128A** (The highway starting from its junction with NH-28 near Mohammadpur connecting to Badshapur and terminating at its junction with NH-31 Jaunpur in the state of Uttar Pradesh) to the National Highways Authority of India.

[F. No. NH-14013/6/2018-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

का.आ. 3033).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एत एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकार द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस

प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

(1)	(2)	(3)
"24.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं. 11 [किमी 17.756 से किमी 42.525 (आगरा-उ. प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 24 [(किमी 8.340 से किमी 488.27 (हापुड़ तथा मुरादाबाद बाइपास सहित दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा-गाजियाबाद-मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर-लखनऊ खंड तक छोड़कर), सं. 24ए, सं. 27 [किमी 0.000 (रारा सं. 2 का किमी 211.700) से किमी 5.410 (रारा 27 के नए संरेखण) तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, 28सी [किमी 43.000 से किमी 93.000 और किमी 99.000 से किमी 150.200 (बाराबंकी-बहराइच-रुपैदिहा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 29 [किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी-गोरखपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 56 [किमी 11.500 से किमी 134.700 (लखनऊ-सुल्तानपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 72ए [किमी 0.00 से किमी 16.00 (छुटमलपुर-गणेशपुर) तक खंड छोड़कर], सं. 74 [किमी 30.00 से किमी 132.00 तक (भागवाला के निकट उत्तराखंड/उ.प्र. सीमा से जसपुर खंड के निकट उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा तक खंड छोड़कर) और किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर-सीतारगंज-बरेली) तक खंड छोड़कर], सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी) तक खंड को छोड़कर], सं. 76, सं. 86 [किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर-कवरई खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 414.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91ए, सं. 92, सं. 93, [किमी 0.00 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 96 (नई सं. 330) [किमी 95.100 से किमी 82.000 (कटका मोड़-सुल्तानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 233 [किमी 122.270 से किमी 299.350 (घागर सेतु इंडो नेपाल सीमा से वाराणसी खंड) तक छोड़कर] और सं. 235 [किमी 7.469 से किमी 66.482 (मेरठ-हापुड़) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 727ए, नई रारा सं. 730, नई रारा सं. 730ए, नई रारा सं. 931 और नई रारा सं. 931ए, नई रारा सं. 330बी, नई रारा सं. 334ए, नई रारा सं. 334बी, नई रारा सं. 219, नई रारा सं. 227ए और नई रारा सं. 731ए, नई रारा सं. 730, नई रारा सं. 124सी, नई रारा सं. 727बी, नई रारा सं. 727एच, नई रारा सं. 727जी, नई रारा सं. 328, नई रारा सं. 328ए, नई रारा सं. 330डी, नई रारा सं. 730बी, नई रारा सं. 731के, नई रारा सं. 727बीबी, नई रारा सं. 730एस, नई रारा सं. 730सी, नई रारा सं. 135सी और नई रारा सं. 135ए के उतने भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार”।

[फा.सं. एनएच-14013/6/2018-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-2025(अ), दिनांकित 21.05.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2018

S. O. 3033(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Table

(1)	(2)	(3)
“24	So much of National Highways No.2A, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km 42.525 (Agra - UP/Rajasthan Border)], No.24 [excluding from km. 8.340 to km. 488.27 (Delhi/Uttar Pradesh border-Ghaziabad- Moradabad-Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and Moradabad bypasses), No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 (Km. 211.700 of NH No.2) to Km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No.28B, No. 28C [excluding from Km. 43.000 to Km 93.000 and from km 99.000 to km 150.200 (Barabanki-Bahariach-Rupaidiha Section)], No.29 {excluding from Km. 2.225 to Km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur Section)}, No.56 {excluding from Km. 11.500 to Km. 134.700 (Lucknow-Sultanpur Section)}, No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 152.00 (Meerut- Muzaffarnagar - Uttar Pradesh /Uttarakhand Border)], No 72A [excluding from km 0.00 to km 16.00 (Chutamalpur-Ganeshpur section)], No.74 [excluding from Km 30.00 to km 132.00 (Uttarakhand/UP border near Bhaguwala to UP/Uttarakhand border near Jaspur section) and excluding from Km. 264.000 to Km. 342.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)], No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], No.76, No.86 [excluding From km. 7.43 to km. 130.100 (Kanpur to Kabrai section)] , No. 91[excluding from km. 23.600 to km. 414.000 (Ghaziabad-Aligarh-Kanpur section)], No.91A, No.92, No.93 [excluding from km. 0.00 to km. 232.000 (Agra- Aligarh-Moradabad section), No.96 (new No. 330) [excluding from Km 95.100 to Km 82.000 (Katka More-Sultanpur Section)], No. 233 [excluding km 122.270 to Km 299.350(Ghagar bridge Indo Nepal border to Varanasi Section)], No. 235 {excluding from Km. 7.469 to Km. 66.482 (Meerut-Hapur Section)}, new NH No. 727A, new NH No. 730, new NH No. 730A, , New NH No.931, and New NH No.931A, new NH No. 330B, new NH No. 334A, New NH No. 334B, new NH No. 219, new NH No. 227A new NH No. 731A, new NH No. 730, new NH No. 124C, new NH No. 727B, new NH No. 727H, new NH No. 727G, new NH No. 328, new NH No. 328A, new NH No. 330D, new NH No. 730B, new NH No. 731K, new NH No. 727BB, new NH No. 730S, new NH No. 730C, new NH No. 135C and new NH No. 135A as are situated within the State of Uttar Pradesh.	State Government of Uttar Pradesh”.

[F. No. NH-14013/6/2018-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* notification number S.O 2025(E) dated the 21.05.2018.